आदेश पत्रक
(नियम 13)

General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

...म पुत्र चोथमल वगैरह जाति मेघवंशी ...ी वार्ड नम्बर 11 मुकुन्दगढ तहसील ...ढ	—बनाम—	चोथमल पुत्र बिडदाराम वगैरह जाति मेघवंशी निवासी वार्ड नम्बर 11 मुकुन्दगढ तहसील नवलगढ़

मुकदमा — दावा स्थाई निषेधाज्ञा — मु.नं. 19 / 2023

2023

दावा वादी कि ओर से जरिये वकील श्री महेश कुमार नारनोलिया ने पेश किया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रस्तुत सम्मन/तलवाना पर प्रतिवादीगण की तलबी जारी होकर आईन्दा दिनांक 11.01.2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ नवलगढ़ द्वारा कार्य स्थगित किये जाने तथा पीठासीन P.O. सा. अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 27/3/24 को पेश हो।

27/3/2024

वकील वादी उप०। प्रतिवादी सं. 01 लगा. 10 की ओर से वकील श्री विनोद बुधवाल उपस्थित हो वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 01 लगा. 10 की ओर जवाब दावा व एक प्रा० पत्र O1 R10 CPC का पेश किया। प्रतिवादी सं. 11 व 12 जरिये समन तामिल अनुपस्थित। अतः इस प्रकरण में इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी सं. 13 की ओर से पैरो० (से. उप०। मोहलत वास्ते पेश करने जवाब प्रा० पत्र O1 R10 CPC आइन्दा दिनांक 8/4/2024 को पेश हो। प्रतिवादी सं. 1 लगा. 6 की ओर से जवाब हेतु अवसर चाहा।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुंझुनूं)

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली नत ...
दिनांक 25/5/24 उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

22/4/24 –

वकील उभय पक्ष उप०। पत्रावली वास्ते पेश जवाब प्रार्थना पत्र 01 R10 CPC तथा पेश करने जवाब द्वारा प्रतिवादी नं. 1 लगा. 6 अपस्ता दिनांक 30/4/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ (झुंझुनूं)

30/4/24 पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्र आदेशानुसार पत्रावली ... को पेश हो।
13/5/24 उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

13/5/24

वकील उभय पक्ष उप०। जवाब प्रा० पत्र 01 R10 CPC को पेश किया गया। पत्रावली वास्ते बहस प्रा०पत्र 01 R10 CPC तथा पेश करने जवाब द्वारा प्रतिवादी नं. 1 लगा. 6 अपस्ता दिनांक 7/6/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ (झुंझुनूं)

7/6/24 पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्र आदेशानुसार पत्रावली वास्ते ... को पेश हो।
10/6/24 उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

10/6/24

आदेश 1, 10 ... CPC

वकील उभय पक्ष उप०। बहस प्रा०पत्र 01 R10 CPC की पेश होने पर बहस सुनी गई। वकील वादी ने प्रा० पत्र 01 R10 स्वीकार करने की स्वीकृति दी। प्रा०पत्र 01 R10 स्वीकार होने से स्वीकार किया जाता है तथा वाद पत्र में लाल स्याही से प्रतिवादी नं. 1 की पुत्रियां क्रमशः सुशीला, सुलोचना व ... को पक्षकार बनाकर प्रतिवादी संयोजित करने का आदेश दिया जाता है। निर्देश

Scanned with CamScanner

अवसर सुनवाई दिया गया। तदपश्चात् वकील प्रतिवादी ने तदोपरान्त ही प्रतिवादी नं. 1 व 2 को उनके हिस्से अनुसार प्रतिवादी नं. 1 की स्थाई निषेधाज्ञा के पारित की सहमति प्रदान की गई। बहस वकीलान की सुनी गई जिसमे प्रतिवादी नं. 1 को [illegible] मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 ग्राम कुकुडाना मे स्थित भूमि ख० नं. 549 रकबा 2.19 हे० मे हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड है। वादी वकील के कथना अनुसार तथा वकील प्रतिवादी की स्वीकृति अनुसार वादी नं. 1 के 6 पुत्र तथा 3 पुत्रियां है तथा एक हिस्सा स्वयं प्रतिवादी नं. 1 का है। उक्त भूमि मे प्रतिवादी नं. 1 के हिस्से की भूमि 1/4 भी पैतृक भूमि है जिसमे कुल हिस्सेदार 10 है। अतः वादी नं. 1 का प्रतिवादी नं. 1 कि दर्ज भूमि मे 1/10 हिस्सा है इसी प्रकार वादी नं. 2 ~~व प्रतिवादी नं.~~, भी 1/10 हिस्सा है। इसलिये सम्पूर्ण विवादित भूमि मे वादी नं. 1, 2, प्रतिवादी नं. 1, 3, 4, 5, 6, 14, 15 व 16 का 1/40 - 1/40 हिस्सा (प्रत्येक का) है। इस बात पर दोनो

पक्षों ने सहमति भी प्रदान की है।
प्रतिवादी के 7, 8, 9, 10 का जवाब
भी इकबाल पत्रावली पर पेश है
लिहाजा वादी का वाद वादी कि
आदेश
192 के सम्पूर्ण भूमि मे 1/40
1/40 हिस्से (उनके हिस्से की हद) तक
स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी
सं. 1 लगा॰ 6 को स्थाई
निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है
कि भूमि खं॰ नं॰ 449 रकबा
2.19 हे॰ आके स्थित मुकुन्दपुर मे
वादी सं. 192 के हिस्से की हद
तक विवादित भूमि का कुर्क-कुर्की
नहीं करे, विक्रय नहीं करे,
वादी सं. 192 के हिस्से 1/40
की हद तक स्थाई निषेधाज्ञा से
पाबन्द किया जाता है डिक्री
जिसमें पृथक से लिखाया जाकर
खुले न्यायालय सुनाया गया।
पत्रावली फैसल हुआ से नम्बर
हटाये व बाद तकमील अभिलेख
दाखिल दफ्तर हो।

[signature]
खण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुंझुनूं)

Reader
11/12/02

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय,

नवलगढ़।

1. गुगनराम पुत्र चोथमल

2. सीताराम पुत्र चोथमल

समस्त जाति मेघवंशी निवासीगण वार्ड नं0 11, मुकुन्दगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

..........वादीगण

बनाम

1. चोथमल पुत्र बिड़दाराम

2. ज्याना देवी पत्नी चोथमल

3. महीपाल

4. हरिराम

5. राकेश कुमार

6. श्रवण कुमार पुत्रगण चोथमल

7. कुरड़ाराम पुत्र बिड़दाराम

8. बनवारी पुत्र बिड़दाराम

9. विनोद कुमार पुत्र स्व. सुण्डाराम

10. रामचन्द्र पुत्र स्व. सुण्डाराम

समस्त जाति मेघवंशी निवासीगण वार्ड नं0 11, मुकुन्दगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

Scanned with CamScanner

11. बड़ोदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा मुकुन्दगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

12. उप पंजीयन मुकुन्दगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

14. सुशीला देवी W/o श्रीचन्द पुत्री चोथमल जाति मेघवाल R/o मुकुन्दगढ़ हाल आबाद सीतसर, झुन्झुनू

15. सुलोचना देवी W/o संजय कुमार पुत्री चोथमल जाति मेघवाल R/o मुकुन्दगढ़ हाल आबाद नवलगढ़

16. प्रेम देवी W/o ताराचन्द पुत्री चोथमल जाति मेघवाल R/o मुकुन्दगढ़ हाल आबाद फुलवाड़ी जिला झुन्झुनू

..........प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

महोदय,

वादीगण निम्नानुसार वाद पत्र श्रीमान की सेवामें प्रस्तुत करते हैः–

आदेश दि० 10/6/2024 के अनुसार मे पक्षकार प्रतिवादी 14, 15, 16 संशोधित किये गये है

1. यह कि राजस्व ग्राम मुकुन्दगढ़ पटवार हल्का मुकुन्दगढ़ की सरहद में स्थित खाता संख्या नया 277 पुराना खाता संख्या 241 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 449 रकबा 2.1900 है0 स्थित है। जिसके संबंध में वादीगण उक्त वाद श्रीमान की सेवामें पेश कर रहे है। जिसे आगे वाद पत्र में विवादित भूमि के नाम से दर्ज व संबोधित किया जा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी (झुन्झुनू)

2. यह कि विवादित भूमि वादीगण की पैत्रिक भूमि है प्रतिवादी संख्या 01 वादीगण का पिता है वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि में वादीगण के पिता चोथमल का 1/4 हक व हिस्सा है तथा वादीगण के पिता चोथमल के 1/4 हक व हिस्से

पर वादीगण का कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है तथा उक्त भूमि के बाह्मी बंटवारे में वादीगण के हक व हिस्से में आई है उक्त भूमि वादीगण मय परिवार तथा मवेशियों सहित आबाद है तथा उक्त भूमि में वादीगण के नाम घरेलू कनेक्शन जारी किया हुआ है उक्त भूमि वादीगण की पैत्रिक भूमि है पैत्रिक भूमि में वादीगण को जन्म लेते ही अधिकार प्राप्त हो गये है।

3. यह कि वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि में वादीगण के पिता का 1/4 हक व हिस्सा प्रतिवादी नं0 7 व 8 प्रत्येक का 1/4–1/4 हक व हिस्सा तथा प्रतिवादी नं. 9 व 10 के पिता सुण्डाराम का 1/4 हक व हिस्सा है तथा मौके पर विधिपूर्ण विभाजन नही हुआ है शामलाती रूप से कब्जा व काश्त चला आ रहा है।

4. यह कि उपरोक्त विवादित भूमि वादीगण के पिता चोथलम के 1/4 हक व हिस्से पर वादीगण का कब्जा काश्त होने से व मौके पर उपरोक्त भूमि पर काबिज है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 की नियत खराब हो गई है वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि को विधि विरूद्ध तरीके से शामलाती कब्जे व काश्त की पैत्रिक भूमि को एकतरफा बाला–बाला ही विक्रय करना चाहते है कानूनन शामलाती पुश्तेनी भूमि को बिना विधिवत बंटवारा करवाये बिना कोई भी हिस्सा विक्रय करने का

ज्ञानाराम शीलाराम

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नही है परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम भूमि होने से अपने पुत्रो वादीगण को उपरोक्त भूमि से वैध अधिकारो से वंचित करने के लिए उनके हक व हिस्से की भूमि को हड़पने की नियत से नाजायज रूप से किसी अजनबी को विकय करना चाहते है चुंकि प्रतिवादी नं0 1 राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का नाम होने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त भूमि को विक्रय करना चाहते है जबकि प्रतिवादी नं0 1 को पैत्रिक भूमि होने से वादीगण को वंचित करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है जब तक भूमि का विधिवत बंटवारा नही हो जाता है तब तक उपरोक्त भूमि की प्रत्येक ईंच–ईंच पर कब्जा काश्त प्रत्येक काश्तकारो का माना जाता है अगर प्रतिवादी नं. 1 अपनी इस नाजायज हरकत में सफल हो गया तो वादीगण को अपार क्षति होगी जिससे व्यर्थ की मुकदमें बाजी बढ़ेगी जिसकी क्षतिपूर्ती किसी भी रूप में संभव नही होगी। वादीगण को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 धमकी दे रहे है कि हम तुम्हे भूमि से बेदखल करेगें तथा वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि को विकय करेगें तथा विकय पत्र उप पंजीयन संख्या 12 कें कार्यालय में तस्दीक करवायेगें। इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 को पाबन्द किया जाना निहायत जरूरी है कि प्रतिवादीगण वादीगण को जबरन बेदखल नही करें, वादीगण के

ग्रा/नारे/2/ अ/0/2/2

Scanned with CamScanner

कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करें तथा ना ही भूमि को विक्रय करें। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पेश दस्तावेजात को प्रतिवादी संख्या 12 तस्दीक नही करें, इसलिए यह दावा स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है।

5. यह कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 की नियत में फर्क आ गया है दिनांक 07.12.2023 को वादीगण को धमकी दी है कि हम तुम्हे जबरन भूमि से बेदखल करेगें क्योंकि हमने भूमि का सौदा कर लिया है यह भूमि हम बेचना चाहते है इसलिए तुम यह जमीन छोड़कर चले जाओं तब वादीगण ने नकल लेने के रोज न्यायालय के अधिकार क्षैत्र में वादकारण पैदा हुआ।

6. यह कि प्रतिवादी संख्या 12 राज्य सरकार का कर्मचारी है तथा प्रतिनिधी है उक्त वाद पत्र अर्जेन्ट नेचर का होने से प्रार्थना पत्र अं. धारा 80(2) सी.पी.सी. का अलग से प्रस्तुत कर वाद पेश करने की अनुमति ली जा रही है जिसके तहत उक्त वाद सेवामें पेश किया जा रहा है।

7. यह कि विवादित भूमि माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार मे स्थित है इसलिए श्रीमान को उक्त वाद सुनने का पूरा पूरा श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार प्राप्त है।

8. यह कि प्रतिवादी संख्या 1, 7, 8, 9 व 10 सह खातेदार है प्रतिवादी संख्या 11 के भूमि रहन है तथा प्रतिवादी संख्या 12

Scanned with CamScanner

उप पंजीयक होने से तथा प्रतिवादी संख्या 13 लैण्ड होल्डर है जो दावें में आवश्यक पक्षकार है इसलिए दावें में पक्षकार बनाया गया है।

9. यह कि उक्त वाद ..../–रूपयें कोर्ट फीस पर पेश है।

10. यह कि उक्त वाद अन्दर मियाद पेश है।

11. अतः वाद पत्र मय शपथ पत्र डुप्लीकेट कॉपी सहित पेशकर निवेदन है कि:–

(क) यह कि वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम मुकुन्दगढ़ पटवार हल्का मुकुन्दगढ़ की सरहद में स्थित खाता संख्या नया 277 पुराना खाता संख्या 241 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 449 रकबा 2.1900 है0 के संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द नही करें, किसी विशिष्ठ भू–भाग पर कब्जा नही करें, विक्रय नही करें, उक्त कार्य प्रतिवादीगण ना तो स्वयं करें ओर ना ही अपने किसी नोकर–चाकर आदि से करवायें। मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Scanned with CamScanner

(ख) यह कि अन्य सिद्धी जो चाही जाने से रह गई हो ओर वादीगण के हक में पड़ती हो वादीगण को दिलाई जावें।

(ग) यह कि खर्चा मुकदमा दिलाया जावें।

दिनांकः— 11.12.2023

वादीगण

1. गुगनराम
2. सीताराम पुत्रगण चोथमल जाति मेघवंशी निवासीगण वार्ड नं0 11, मुकुन्दगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

गुगनराम

सीताराम

गुगनराम

तस्दीक

मैं, गुगनराम पुत्र चोथमल जाति मेघवंशी निवासी वार्ड नं0 11, मुकुन्दगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0) का हूँ जो कि शपथपूर्वक तस्दीक करता हूँ कि वाद पत्र की धारा 1 लगायत अन्तिम अन्तिम मेरी स्वयं की जानकारी के अनुसार सही व सत्य है।

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय,
नवलगढ़।

गुगनराम बनाम चोथमल आदि।

दावा . स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 13/2023

महोदय,

13/3/24

वादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अ. आदेश

1 नियम 10 CPC निम्न प्रकार प्रस्तुत है–

1. यह कि उक्त प्रकरण में वादी की पेशी होना स्वीकार है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में वर्णित भूमि पैतृक हो यह कि वादीगण का वाद केवल स्थायी निषेधाज्ञा का हो जिसमे वादीगण की बहिने 1. सुशीला देवी
2. सुलोचना देवी 3. प्रेम देवी को पक्षकार संयोजित किया जाना न्यायोचित नही हो क्योंकि वादीगण को अपनी बहिनो के खिलाफ किसी प्रकार की कोई रिलीफ नही चाही है क्योंकि उक्त भूमि में वादीगण के बहिने का मौके पर कोई कब्जा व काश्त नही हो वादीगण ने अपनी बहिनो के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई स्थायी निषेधाज्ञा नही चाही है कोई विवाद नही अपनी बहिनो के खिलाफ कोई निषेधाज्ञा का हो नही। वादीगण वाद केवल स्थायी निषेधाज्ञा का हो वादीगण
3. यह कि वाद-पत्र में वर्णित भूमि पैतृक कृषि भूमि मौके पर काश्त चला आ रहा हो वादीगण की बहिने से वादीगण का कब्जा व काश्त चला आ रहा हो वादीगण की मौके पर कोई विवाद नही हो बहिने से वादीगण ने पक्षकार नही बनाया हो इस कारण से वादीगण ने पक्षकार नही बनाया पैतृक भूमि का वाद
4. यह कि प्रार्थना पत्र व वाद-पत्र में वादीगण की बहिने न्यायालय में विचाराधीन हो वादीगण की बहिने आवश्यक व प्रभावित पक्षकार नही है क्योंकि वादीगण वाद वादीगण का वाद केवल स्थायी निषेधाज्ञा का हो अतिरिक्त आदेश का चोथमल, सिर्फ इसकी, बिरदली, अतिरिक्त आदेश प्रभावित पक्षकार नही है वादीगण बहिने आवश्यक व प्रभावित पक्षकार नही होने के कारण वाद में सुनवाई का अवसर दिया जाना (जाना) न्याय संगत नही हो क्योंकि वादीगण के बहिने न्यायालय में अपना प्रार्थना-पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र हो
5. यह कि प्रार्थना-पत्र कम कोर्ट फीस पर पेश है।
6. यह कि अन्य वजुहात वक्त बहस अर्ज किया जावेगा।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रति नं. 2 चोथमल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी के उपर प्रार्थना-पत्र दावे में विलम्ब करने हेतु एवं अपने जवाब दावे में विलम्ब करने हेतु प्रस्तुत किया है जो मय हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी/वादी
1 गुगनराम पुत्र चोथमल
जाति मेघवंशी

दिनांक 13/3/24

अधि. - [illegible]

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
श्री जय सिंह (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

जीएसएम न. 2023 / 494

मुकदमा नम्बर 191 / 2023

मुकदमा दायर दिनांक 11 / 12 / 2023

1. गुगनराम पुत्र चौथमल
2. सीताराम पुत्र चौथमल समस्त जाति मेघवंशी निवासीगण वार्ड नं. 11मुकुन्दगढ तहसील नवलगढ

बनाम

1. चौथमल पुत्र बिडदाराम
2. ज्याना देवी पत्नी चौथमल
3. महीपाल
4. हरिराम
5. राकेश कुमार
6. श्रवण कुमार पुत्रगण चौथमल
7. कुरडाराम पुत्र बिडदाराम
8. बनवारी पुत्र बिडदाराम
9. विनोद कुमार पुत्र स्व. सुण्डाराम
10. रामचन्द्र पुत्र स्व. सुण्डाराम समस्त जाति मेघवंशी निवासीगण वार्ड नं. 11 मुकुन्दगढ तहसील नवलगढ
11. बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मुकुन्दगढ, तहसील नवलगढ
12. उप पंजीयक मुकुन्दगढ तहसील नवलगढ
13. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़
14. सुशीला देवी पत्नी श्रीचन्द पुत्री चौथमल जाति मेघवाल निवासी मुकुन्दगढ हाल आबाद सीतसर, झुझुंनू
15. सुलोचना देवी पत्नी संजय कुमार पुत्री चौथमल जाति मेघवाल निवासी मुकुन्दगढ हाल आबाद नवलगढ
16. प्रेम देवी पत्नी ताराचन्द पुत्र चौथमल जाति मेघवाल निवासी मुकुन्दगढ हाल आबाद फुसकानी जिला झुझुंनू

दावा :– स्थाई निषेधज्ञा

प्रतिनिधित्वः–

वकील वादी–श्री महेश कुमार नारनोलिया
वकील प्रतिवादी – श्री विनोद घुघरवाल

–:निर्णयः–   निर्णय दिनांक 10 / 06 / 2024

वाद वादी इस कदर पेश किया गया कि ग्राम मुकुन्दगढ पटवार हल्का मुकुन्दगढ की सरहद में स्थित खाता सं. नया 277 पुराना खाता सं. 241 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 449 रकबा 2.19 है0 के सबंध में प्रतिवादी सं. 1 लगायत 6 को स्थाई निषेधज्ञा से पावन्द फरमाया जावें कि विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द नही करें, किसी विशिष्ठ भू भाग पर कब्जा नही करे, विक्रय नही करे, मौके एंव रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

Scanned with CamScanner

वाद वादी पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण कि जारी की गई। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 कि पुत्रीयों क्रमशः सुशीला, सुलोचना, व प्रेमदेवी को पक्षकार संयोजित किये जाने का प्रा. पत्र आपसी सहमति से स्वीकार किया गया तथा इस प्रकरण में बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित किया गया। वकुलान उभय पक्ष द्वारा बहस प्रस्तुत की गई तथा दोनो पक्षों मे इस बात पर सहमति बनी कि प्रतिवादी सं. 1 का सम्पूर्ण भूमि में 1/4 हिस्सा है तथा उक्त भूमि पैतृक है। प्रतिवादी सं. 1 के 6 पुत्र तथा 3 पुत्रीयां होना भी दौराने बहस दोनो पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया है। इस प्रकार से विवादित भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का सम्पूर्ण भूमि में 1/4 हिस्सा होना प्रमाणित है तथा उक्त भूमि पैतृक है यह तथ्य भी निर्विवाद है। इस प्रकार से वादी सं. 1 व 2 तथा प्रतिवादी सं. 1,3,4,5,6,14,15,16 का पैतृक भूमि में हिस्सा होने की बात से इन्कार नही किया जा सकता है। वादी सं. 1 व 2 तथा प्रतिवादी सं. 1,3,4,5,6,14,15,16 का सम्पूर्ण भूमि मे प्रत्येक 1/40 – 1/40 हिस्सा होना स्वय सिद्व है, जिसे किसी प्रमाण की आवश्यक्ता नही है।

विद्वान वकुलान द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादीगण का वाद उनके हिस्से प्रत्येक के 1/40–1/40 हिस्से की हद तक स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। वादीगण को उनके हिस्से से अधिक की भूमि पर स्थगन नही दिया जा सकता है। वादीगण को उनके हिस्से की हद तक ही प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूर्णीय श्रति का मामला बनता है। अपने हिस्से से अधीक की भूमि पर कोई अधिकार नही रहता है।

आदेश

लिहाजा वादीगण का वाद आंशिक रूप से वादीगण सं. 1 व 2 को उसके प्रत्येक के हिस्से 1/40–1/40 की हद तक स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी सं. 1 लगा. 6 को जब तक उक्त विवादित भूमि ग्राम मुकुन्दगढ पटवार हल्का मुकुन्दगढ की सरहद में स्थित खाता सं. नया 277 पुराना खाता सं. 241 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 449 रकबा 2.19 है0 का विधिवत विभाजन नही करवा लिया जाता, इस कदर स्थाई निषेधज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि,वो वादी सं. 1 व 2 के हिस्से (प्रत्येक 1/40– 1/40) को खुर्द–बुर्द नही करे,विकय नही करे, किसी विशिष्ठ भू भाग पर कब्जा नही करे। तहसीलदार नवलगढ उक्त आदेश कि पालना सुनिश्चित करावें।

निर्णय आज दिनांक 10/06/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर, खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफतर हो।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned with CamScanner

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
श्री जयसिंह (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

जीएसएम न. 2023 / 494
मुकदमा नम्बर 191 / 2023 मुकदमा दायर दिनांक 11 / 12 / 2023

(गुगनराम बनाम चौथमल वगै0)

दावा :– स्थाई निषेधज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री जय सिंह (आर0ए0एस0).उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

वादीगण का वाद आंशिक रूप से वादीगण सं. 1 व 2 को उसके प्रत्येक के हिस्से 1 / 40–1 / 40 की हद तक स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी सं. 1 लगा. 6 को जब तक उक्त विवादित भूमि ग्राम मुकुन्दगढ पटवार हल्का मुकुन्दगढ की सरहद में स्थित खाता सं. नया 277 पुराना खाता सं. 241 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 449 रकबा 2.19 है0 का विधिवत विभाजन नही करवा लिया जाता, इस कदर स्थाई निषेधज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि,वो वादी सं. 1 व 2 के हिस्से (प्रत्येक 1 / 40– 1 / 40) को खुर्द–बुर्द नही करे,विकय नही करे, किसी विशिष्ट भू भाग पर कब्जा नही करे। तहसीलदार नवलगढ उक्त आदेश कि पालना सुनिश्चित करावें।

जन..........–.............. मुबलिग..........–..........बाबत.....–..........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–........... फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–............का अदा करे।

बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 10 माह 06 सन 2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़

मुददई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	1.00	स्टाम्प वकालतनामा	1.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	0.00	मुतफरिक मिजान	0.00

Scanned with CamScanner